प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,
....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
....

पत्रांक–476/नि0शा0/2021–22 दिनांक–22-03-.2022.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/रा016/पुरूष लाभार्थी–60 के0+रा0) के अर्न्तगत पुरूषों हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 451.81 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 301.21 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 14/2022/202//सत्रह–म–2022–17–1002(002)/3/2022 दिनांक 21.03.2022, जिसके द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/रा016/लाभार्थी–60 के0+रा0) के अर्न्तगत अनुदान सं0–17 में पुरुष वर्ग हेतु **निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 451.81 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 301.21 लाख** (रू0 तीन करोड़ एक लाख इक्कीस हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2020/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2021 के प्रस्तर–3(II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16– लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17– विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18– उक्त धनराशि अनुदान सं0–17 के अन्तर्गत पुरूष वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरूष लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के024/रा016/पुरूष लाभार्थी–60 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (...11.....) पर अंकित है।

भवदीय

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,
....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
....

पत्रांक— /नि0शा0/2021—22 दिनांक-22-03-2022.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021—22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/रा016/पुरूष लाभार्थी—60 के0+रा0) के अर्न्तगत पुरूषों हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 451.81 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 301.21 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 14/2022/202//सत्रह—म—2022—17—1002(002)/3/2022 दिनांक 21.03.2022, जिसके द्वारा वर्ष 2021—22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/रा016/लाभार्थी—60 के0+रा0) के अर्न्तगत अनुदान सं0—17 में पुरूष वर्ग हेतु **निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 451.81 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 301.21 लाख** (रू0 तीन करोड़ एक लाख इक्कीस हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1— भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या—31/2020/1047/सत्रह—म—2020—6—9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2— बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3— जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4— स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—3/2020/बी—1—375—दस—2021—231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा—निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5— स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 — स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7— मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई—टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8— स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9— भारत सरकार के पत्रांक जे0—18001/1/2017—एफवाई, दिनांक 23—04—.2021 के प्रस्तर—3(II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण—पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10— निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11— स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण—पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16– लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17– विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18– उक्त धनराशि अनुदान सं0–17 के अन्तर्गत पुरूष वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरूष लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के024/रा016/पुरूष लाभार्थी–60 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (..11......) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक–476 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-TALAB NIRMAN IN PVT LAND MALE 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	197100 17192800	197100 17192800
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	112000 3298000	112000 3298000
3	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --20-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी	36400 4037000	36400 4037000
4	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	125400 3287800	125400 3287800
5	अलीगढ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	235200 5598000	235200 5598000
6	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	571200 25529180	571200 25529180
7	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	636300 12439730	636300 12439730
8	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	370000 1215340	370000 1215340
9	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	117600 5338000	117600 5338000
10	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --22-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बदायूं	वर्तमान प्रगामी	156800 2620000	156800 2620000
11	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	106400 5578000	106400 5578000
12	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	33600 2877520	33600 2877520
13	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --19-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सम्भल	वर्तमान प्रगामी	84000 2184000	84000 2184000
14	पीलीभीत-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	80000 925100	80000 925100
15	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	279800 5435320	279800 5435320
16	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	255500 3458100	255500 3458100
17	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	112000 6634080	112000 6634080
18	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	72100 4381300	72100 4381300
19	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --25-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - कानपुर देहात	वर्तमान प्रगामी	333900 4262100	333900 4262100
20	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	84000 2827000	84000 2827000
21	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	134400 1955360	134400 1955360
22	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	79400 1817580	79400 1817580

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
23	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 4465400	224000 4465400
24	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	280000 1278000	280000 1278000
25	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	179200 2726000	179200 2726000
26	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	140000 7693240	140000 7693240
27	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	280000 9940800	280000 9940800
28	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	358400 18845000	358400 18845000
29	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	392000 18994000	392000 18994000
30	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	718400 27554780	718400 27554780
31	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	156800 4586800	156800 4586800
32	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	253900 12313600	253900 12313600
33	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	78400 3028000	78400 3028000
34	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	48400 31825600	48400 31825600
35	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	103600 5916040	103600 5916040
36	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	179200 5186520	179200 5186520
37	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	140000 4412000	140000 4412000
38	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	56000 9024200	56000 9024200
39	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	258200 3229000	258200 3229000
40	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	672000 21559280	672000 21559280
41	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	823800 44239560	823800 44239560
42	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	728000 8925400	728000 8925400
43	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	353400 3947400	353400 3947400
44	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	296800 21995500	296800 21995500
45	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	42400 9712450	42400 9712450
46	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	134400 3440450	134400 3440450
47	सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	252000 6482040	252000 6482040
48	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	627200 23449000	627200 23449000
49	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 1762000	224000 1762000
50	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1120000 27189280	1120000 27189280
51	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	246400 14056000	246400 14056000
52	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	504000 14359800	504000 14359800
53	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	190400 6049970	190400 6049970

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
54	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1385600 21357060	1385600 21357060
55	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	89600 2070920	89600 2070920
56	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	134400 3346320	134400 3346320
	योग	वर्तमान प्रगामी	15884000 527852720	15884000 527852720

महायोग-.(वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ अट्ठावन लाख चौरासी हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बावन करोड़ अठहत्तर लाख बावन हजार सात सौ बीस

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-KHARE JAL ME TALAB NIRMAN MALE 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	84000 12523730	84000 12523730
	योग	वर्तमान प्रगामी	84000 12523730	84000 12523730

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौरासी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ पच्चीस लाख तेइस हजार सात सौ तीस

(मुकेश)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-BIOFALAK TALAB NIRMAN MALE 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	224000 17416800	224000 17416800
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	224000 3522000	224000 3522000
3	अलीगढ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 5822000	224000 5822000
4	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	224000 10164800	224000 10164800
5	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	448000 19293000	448000 19293000
6	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	224000 19218000	224000 19218000
7	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	448000 28002780	448000 28002780
8	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	224000 12537600	224000 12537600
9	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	448000 32273600	448000 32273600
10	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	448000 22007280	448000 22007280
11	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 9149400	224000 9149400
12	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	448000 22443500	448000 22443500
13	सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 6706040	224000 6706040
14	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	448000 23897000	448000 23897000
15	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 4067960	224000 4067960
16	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	448000 27637280	448000 27637280
17	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	448000 21805060	448000 21805060
	योग	वर्तमान प्रगामी	5600000 285964100	5600000 285964100

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छप्पन लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठाईस करोड़ उनसठ लाख चौसठ हजार एक सौ

(पूजा [illegible])
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-LARGE BIOFALAK RAS MALE 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	1600000 45839560	1600000 45839560
2	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2400000 16456000	2400000 16456000
	योग	वर्तमान प्रगामी	4000000 62295560	4000000 62295560

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चालीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छ: करोड़ बाइस लाख पंचानवे हजार पाँच सौ साठ

(पूनम सैन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MEDIUM BIOFALAK RAS MALE 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	400000 19618000	400000 19618000
2	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	400000 46239560	400000 46239560
	योग	वर्तमान प्रगामी	800000 65857560	800000 65857560

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया आठ लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ अट्ठावन लाख सत्तावन हजार पाँच सौ साठ

(पूर्ण रमण)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-SMALL BIOFALAK RAS MALE 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	120000 3407800	120000 3407800
2	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	120000 2846000	120000 2846000
3	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी.अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	120000 28122780	120000 28122780
4	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	120000 24017000	120000 24017000
5	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	120000 27757280	120000 27757280
	योग	वर्तमान प्रगामी	600000 86150860	600000 86150860

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छः लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया आठ करोड़ इकसठ लाख पचास हजार आठ सौ साठ

(पूर्णचन्द्र)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MOTER CYCLE WITH ICE BOX MALE 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	12000 3534000	12000 3534000
2	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	24000 1239340	24000 1239340
3	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	24000 5362000	24000 5362000
4	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	24000 5459320	24000 5459320
5	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	24000 3482100	24000 3482100
6	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	36000 6670080	36000 6670080
7	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	12000 1967360	12000 1967360
8	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	12000 4477400	12000 4477400
9	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	12000 1290000	12000 1290000
10	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	12000 2858000	12000 2858000
11	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	12000 19305000	12000 19305000
12	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	12000 28134780	12000 28134780
13	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	24000 4610800	24000 4610800
14	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	24000 12561600	24000 12561600
15	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	12000 3040000	12000 3040000
16	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	12000 32285600	12000 32285600
17	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	12000 5198520	12000 5198520
18	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	36000 4448000	36000 4448000
19	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	24000 9048200	24000 9048200
20	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	24000 3253000	24000 3253000
21	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	24000 46263560	24000 46263560
22	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	12000 9161400	12000 9161400

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
23	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	24000 3971400	24000 3971400
24	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	24000 24041000	24000 24041000
25	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	12000 1774000	12000 1774000
26	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	24000 27781280	24000 27781280
27	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	24000 16480000	24000 16480000
28	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	24000 14383800	24000 14383800
29	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	24000 21829060	24000 21829060
30	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	12000 2247720	12000 2247720
31	चित्रकूट-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	12000 270000	12000 270000
	योग	वर्तमान प्रगामी	600000 326428320	600000 326428320

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छः लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बत्तीस करोड़ चौसठ लाख अठाईस हजार तीन सौ बीस

(पूजा...)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-CYCLE WITH ICE BOX MALE 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	24000 5386000	24000 5386000
2	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	4800 3486900	4800 3486900
3	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1600 11275000	1600 11275000
4	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1600 4479000	1600 4479000
5	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	4800 10169600	4800 10169600
6	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	1600 28136380	1600 28136380
7	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1600 4612400	1600 4612400
8	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	12800 9061000	12800 9061000
9	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1600 3254600	1600 3254600
10	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3200 9164600	3200 9164600
11	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1600 3442050	1600 3442050
12	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1600 27782880	1600 27782880
13	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1600 21830660	1600 21830660
14	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1600 2249320	1600 2249320
15	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	8000 2078920	8000 2078920
	योग	वर्तमान प्रगामी	72000 146409310	72000 146409310

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बहत्तर हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह करोड़ चौसठ लाख नौ हजार तीन सौ दस

(पूजा ...)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-THREE WHEELER WITH ICE BOX MALE 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	96000 6766080	96000 6766080
2	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	96000 2063360	96000 2063360
3	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	96000 4575000	96000 4575000
4	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	48000 28184380	48000 28184380
5	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	96000 4708400	96000 4708400
6	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	48000 12609600	48000 12609600
7	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	48000 5246520	48000 5246520
8	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	96000 9260600	96000 9260600
9	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	96000 4067400	96000 4067400
10	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	48000 22491500	48000 22491500
11	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	96000 1870000	96000 1870000
12	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	96000 2174920	96000 2174920
	योग	वर्तमान प्रगामी	960000 104017760	960000 104017760

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ लाख साठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़ चालीस लाख सत्रह हजार सात सौ साठ

(पूजा [illegible])
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-LIVE FISH VENDING CENTRE MALE 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	320000 7086080	320000 7086080
2	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	320000 2190000	320000 2190000
	योग	वर्तमान प्रगामी	640000 9276080	640000 9276080

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छ: लाख चालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बानवे लाख छिहत्तर हजार अस्सी

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-KIYOSK MALE 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	160000 2223360	160000 2223360
2	चित्रकूट-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	160000 430000	160000 430000
	योग	वर्तमान प्रगामी	320000 2653360	320000 2653360

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन लाख बीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छब्बीस लाख तिरेपन हजार तीन सौ साठ

(पूजा रमण)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MOBILE LAB MALE 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	गाजियाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	560000 6080000	560000 6080000
	योग	वर्तमान प्रगामी	560000 6080000	560000 6080000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच लाख साठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया साठ लाख अस्सी हजार

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2021–22

(धनराशि रू0 लाख में)

निजी भूमि पर तालाब निर्माण(सामान्य)

क्र0	जनपद	क्षेत्रफल (हे0)	धनराशि	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त धनराशि केवल राज्यांश
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	5.681	39.767	15.907	9.544	6.363	6.363
2	फिरोजाबाद	1.200	8.400	3.360	2.016	1.344	1.344
3	मैनपुरी	3.304	23.128	9.251	5.551	3.700	3.700
4	मथुरा	5.100	35.700	14.280	8.568	5.712	5.712
5	अलीगढ	2.100	14.700	5.880	3.528	2.352	2.352
6	हाथरस	1.700	11.900	4.760	2.856	1.904	1.904
7	एटा	0.400	2.800	1.120	0.672	0.448	0.448
8	कासगंज	0.650	4.550	1.820	1.092	0.728	0.728
9	आजमगढ	2.267	15.869	6.348	3.809	2.539	2.539
10	मऊ	2.650	18.550	7.420	4.452	2.968	2.968
11	बलिया	0.700	4.900	1.960	1.176	0.784	0.784
12	प्रतापगढ	0.750	5.250	2.100	1.260	0.840	0.840
13	कानपुर नगर	0.644	4.508	1.803	1.082	0.721	0.721
14	कानपुरदेहात	2.981	20.867	8.347	5.008	3.339	3.339
15	इटावा	1.000	7.000	2.800	1.680	1.120	1.120
16	फर्रुखाबाद	1.531	10.717	4.287	2.572	1.715	1.715
17	कन्नौज	0.750	5.250	2.100	1.260	0.840	0.840
18	गोरखपुर	3.500	24.500	9.800	5.880	3.920	3.920
19	महाराजगंज	5.600	39.200	15.680	9.408	6.272	6.272
20	देवरिया	6.415	44.905	17.962	10.778	7.184	7.184
21	कुशीनगर	10.000	70.000	28.000	16.800	11.200	11.200
22	बांदा	2.500	17.500	7.000	4.200	2.800	2.800
23	हमीरपुर	2.000	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
24	महोबा	2.000	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
25	झाँसी	1.200	8.400	3.360	2.016	1.344	1.344
26	जालौन	0.710	4.970	1.988	1.194	0.794	0.794
27	ललितपुर	3.155	22.085	8.834	5.300	3.534	3.534
28	गोण्डा	6.000	42.000	16.800	10.080	6.720	6.720
29	बलरामपुर	12.371	86.597	34.639	20.783	13.856	13.856
30	बहराइच	6.500	45.500	18.200	10.920	7.280	7.280
31	श्रावस्ती	0.800	5.600	2.240	1.344	0.896	0.896
32	अयोध्या	2.306	16.142	6.457	3.875	2.582	2.582
33	अम्बेडकर नगर	2.200	15.400	6.160	3.696	2.464	2.464
34	बाराबंकी	7.356	51.492	20.596	12.358	8.238	8.238
35	बदायूँ	1.400	9.800	3.920	2.352	1.568	1.568
36	पीलीभीत	0.715	5.005	2.002	1.202	0.800	0.800
37	बस्ती	1.400	9.800	3.920	2.352	1.568	1.568
38	सिद्वार्थनगर	0.379	2.653	1.061	0.637	0.424	0.424
39	मेरठ	1.760	12.320	4.928	2.957	1.971	1.971
40	हापुड़	0.325	2.275	0.910	0.546	0.364	0.364
41	बागपत	1.000	7.000	2.800	1.680	1.120	1.120

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2021–22 (धनराशि रू0 लाख में)

निजी भूमि पर तालाब निर्माण(सामान्य)

क0	जनपद	क्षेत्रफल (हे0)	धनराशि	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त धनराशि केवल राज्यांश
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	बुलन्दशहर	1.120	7.840	3.136	1.882	1.254	1.254
43	मुरादाबाद	0.300	2.100	0.840	0.504	0.336	0.336
44	अमरोहा	1.200	8.400	3.360	2.016	1.344	1.344
45	रामपुर	2.498	17.486	6.994	4.196	2.798	2.798
46	बिजनौर	0.950	6.650	2.660	1.596	1.064	1.064
47	सभल	0.750	5.250	2.100	1.260	0.840	0.840
48	लखनऊ	0.432	3.024	1.210	0.726	0.484	0.484
49	उन्नाव	0.925	6.475	2.590	1.554	1.036	1.036
50	सीतापुर	1.600	11.200	4.480	2.688	1.792	1.792
51	हरदोई	1.250	8.750	3.500	2.100	1.400	1.400
52	लखीमपुरखीरी	0.500	3.500	1.400	0.840	0.560	0.560
53	वाराणसी	1.600	11.200	4.480	2.688	1.792	1.792
54	चन्दौली	4.500	31.500	12.600	7.560	5.040	5.040
55	गाजीपुर	1.250	8.750	3.500	2.100	1.400	1.400
56	जौनपुर	2.500	17.500	7.000	4.200	2.800	2.800
57	मिर्जापुर	3.200	22.400	8.960	5.376	3.584	3.584
58	सोनभद्र	2.250	15.750	6.300	3.780	2.520	2.520
	प्रदेश योग	141.825	992.775	397.110	238.270	158.840	158.840

(रूपये एक करोड़ अट्ठावन लाख चौरासी हजार मात्र)

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2021—22

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	खारे जल में तालाब निर्माण / **Rs.8.0 lacs/hectare**							
		सामान्य लाभार्थी							
		लाभार्थी सं0	क्षेत्रफल हे0	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त धनराशि केवल राज्यांश
							केन्द्राश	राज्यांश	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	आगरा	1	0.660	0.660	5.280	2.110	1.270	0.840	0.840
प्रदेश योग		**1**	**0.660**	**0.660**	**5.280**	**2.110**	**1.270**	**0.840**	**0.84**

(रूपये चौरासी हजार मात्र)

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2021—22

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	वायोफ्लाक तालाब निर्माण / Rs. 14.0 lacs/ 0.10hectare						
		सामान्य लाभार्थी						
		लाभार्थी सं0	क्षेत्रफल हे0	धनराशि / टी0पी0 सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से केन्द्राश	राज्यांश	कुल अवमुक्त धनराशि केवल राज्यांश
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	आजमगढ	1	0.100	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
2	मऊ'	2	0.200	28.000	11.200	6.720	4.480	4.480
3	गोरखपुर	1	0.100	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
4	महाराजगंज	2	0.200	28.000	11.200	6.720	4.480	4.480
5	देवरिया'	2	0.200	28.000	11.200	6.720	4.480	4.480
6	कुशीनगर''	2	0.200	28.000	11.200	6.720	4.480	4.480
7	गोण्डा	2	0.200	28.000	11.200	6.720	4.480	4.480
8	बलरामपुर	2	0.200	28.000	11.200	6.720	4.480	4.480
9	बहराइच	1	0.100	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
10	मेरठ	1	0.100	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
11	बागपत	1	0.100	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
12	लखनऊ	2	0.200	28.000	11.200	6.720	4.480	4.480
13	अलीगढ़	1	0.100	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
14	जौनपुर	1	0.100	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
15	मिर्जापुर	2	0.200	28.000	11.200	6.720	4.480	4.480
16	सोनभद्र	1	0.100	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
17	भदोही	1	0.100	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
	प्रदेश योग	25	2.500	350.000	140.000	84.000	56.000	56.000

(रूपये छप्पन लाख मात्र)

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22

वृहद आर0ए0एस0/वृहद वायोफलाक / **Rs. 50.0 lacs/unit**

सामान्य लाभार्थी

कम	जनपद	संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	अम्बेडकर नगर	3	150.00	60.00	36.00	24.00	24.00
2	बाराबंकी	2	100.00	40.00	24.00	16.00	16.00
प्रदेश योग		**5**	**250.00**	**100.00**	**60.00**	**40.00**	**40.00**

(रू0 चालीस लाख मात्र)

21/03/022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
कमांक	जनपद	मध्यांकार आर0ए0एस0/मध्याकार वायोफलाक / **Rs. 25 .0 lacs/unit**					
		सामान्य लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि /टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोरखपुर	1	25.00	10.00	6.00	4.00	4.00
2	बाराबंकी	1	25.00	10.00	6.00	4.00	4.00
प्रदेश योग		**2**	**50.00**	**20.00**	**12.00**	**8.00**	**8.00**

(रू0 आठ लाख मात्र)

21/03/22

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
कमांक	जनपद	लघु आर0ए0एस0 वायोफलाक / **Rs. 7.50 lacs/unit**					
		सामान्य लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महाराजगंज	1	7.50	3.00	1.80	1.20	1.20
2	देवरिया	1	7.50	3.00	1.80	1.20	1.20
3	कुशीनगर	1	7.50	3.00	1.80	1.20	1.20
4	बुलन्दशहर	1	7.50	3.00	1.80	1.20	1.20
5	वाराणसी	1	7.50	3.00	1.80	1.20	1.20
प्रदेश योग		**5**	**37.50**	**15.00**	**9.00**	**6.00**	**6.00**

(रू0 छः लाख मात्र)

21/03/22

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22

मोटर साईकिल विथ आइस बॉक्स / **Rs. 0.75 lacs/unit**

सामान्य लाभार्थी

कमांक	जनपद	संख्या	धनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से केन्द्रांश	कुल अनुदान में से राज्यांश	कुल अवमुक्त अनुदान (केवल राज्यांश) (रू लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मैनपुरी	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.240
2	एटा	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.120
3	कासगंज	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.120
4	आजमगढ	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.240
5	बलिया	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.120
6	कौशम्बी	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.120
7	इटावा	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.240
8	औरैया	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.120
9	फर्रुखाबाद	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.240
10	महाराजगंज	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.240
11	देवरिया	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.120
12	कुशीनगर	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.240
13	बांदा	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.120
14	चित्रकूट	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.120
15	हमीरपुर	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.120
16	महोबा	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.120
17	झॉसी	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.120
18	ललितपुर	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.240
19	बलरामपुर	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.240
20	बहराइच	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.120
21	अयोध्या	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.240
22	अम्बेडकर नगर	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.240
23	बाराबंकी	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.240
24	बस्ती	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.240
25	बागपत	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.120
26	रामपुर	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.240
27	लखनऊ	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.120
28	सीतापुर	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.120
29	हरदोई	3	2.250	0.900	0.540	0.360	0.360
30	लखीमपुरखीरी	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.240
31	वाराणसी	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.120
32	चन्दौली	2	1.500	0.600	0.360	0.240	0.240
33	मिर्जापुर	1	0.750	0.300	0.180	0.120	0.120
	प्रदेश योग	50	**37.500**	**15.000**	**9.000**	**6.000**	**6.000**

(रू0 छः लाख मात्र)

21/03/22

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
क्रमांक	जनपद	साईकिल विथ आइस वॉक्स / **Rs. 0.10 lacs/unit**					
		सामान्य लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फिरोजाबाद	1	0.100	0.040	0.024	0.016	0.016
2	कासगंज	15	1.500	0.600	0.360	0.240	0.240
3	प्रयागराज	1	0.100	0.040	0.024	0.016	0.016
4	कौशम्बी	1	0.100	0.040	0.024	0.016	0.016
5	फरूर्खाबाद	3	0.300	0.120	0.072	0.048	0.048
6	देवरिया	1	0.100	0.040	0.024	0.016	0.016
7	कुशीनगर	1	0.100	0.040	0.024	0.016	0.016
8	हमीरपुर	1	0.100	0.040	0.024	0.016	0.016
9	बलरामपुर	1	0.100	0.040	0.024	0.016	0.016
10	बहराइच	2	0.200	0.080	0.048	0.032	0.032
11	श्रावस्ती	5	0.500	0.200	0.120	0.080	0.080
12	अयोध्या	1	0.100	0.040	0.024	0.016	0.016
13	बस्ती	1	0.100	0.040	0.024	0.016	0.016
14	लखीमपुरखीरी	8	0.800	0.320	0.192	0.128	0.128
15	जौनपुर	3	0.300	0.120	0.072	0.048	0.048
प्रदेश योग		**45**	**4.500**	**1.800**	**1.080**	**0.720**	**0.720**

(रू0 बहत्तर हजार मात्र)

21/03/022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
कमांक	जनपद	थ्री व्हीलर विथ आइस वॉक्स / **Rs. 3.0 lacs/unit cost**					
		सामान्य लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आजमगढ	1	3.00	1.20	0.72	0.48	0.48
2	मऊ	1	3.00	1.20	0.72	0.48	0.48
3	इटावा	2	6.00	2.40	1.44	0.96	0.96
4	देवरिया	1	3.00	1.20	0.72	0.48	0.48
5	हमीरपुर	2	6.00	2.40	1.44	0.96	0.96
6	महोबा	2	6.00	2.40	1.44	0.96	0.96
7	झॉसी	2	6.00	2.40	1.44	0.96	0.96
8	ललितपुर	2	6.00	2.40	1.44	0.96	0.96
9	बहराइच	2	6.00	2.40	1.44	0.96	0.96
10	श्रावस्ती	2	6.00	2.40	1.44	0.96	0.96
11	बस्ती	2	6.00	2.40	1.44	0.96	0.96
12	सीतापुर	1	3.00	1.20	0.72	0.48	0.48
प्रदेश योग		20	**60.00**	**24.00**	**14.40**	**9.60**	**9.60**

(रू0 नौ लाख साठ हजार मात्र)

21/03/22

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
कमांक	जनपद	लाईव फिश वेन्डिंग सेन्टर / **Rs. 20.00 lacs/unit**					
		सामान्य लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	महोबा	1	20.00	8.00	4.80	3.20	3.20
2	इटावा	1	20.00	8.00	4.80	3.20	3.20
प्रदेश योग		**2**	**40.00**	**16.00**	**9.60**	**6.40**	**6.40**

(रू0 छः लाख चालीस हजार मात्र)

21/03/22

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22

कमांक	जनपद	कियोस्क / Rs. 10.00 lacs/unit					
		सामान्य लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चित्रकूट	1	10.00	4.00	2.40	1.60	1.60
2	झॉसी	1	10.00	4.00	2.40	1.60	1.60
प्रदेश योग		**2**	**20.00**	**8.00**	**4.80**	**3.20**	**3.20**

(रू0 तीन लाख बीस हजार मात्र)

21/03/22

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
कमांक	जनपद	मोवाइल लैब / **Rs. 35.00 lacs/unit**					
		सामान्य लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गाजियाबाद	1	35.00	14.00	8.40	5.60	5.60

(रू0 पांच लाख साठ हजार मात्र)

21/03/22

संख्याः/५/२०२२/202/सत्रह-म-2022-17-1002(002)/3/2022

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग   लखनऊः दिनांकः 21 मार्च, 2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत अनुदान सं0-17 में सामान्य पुरूष वर्ग हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 451.81 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 301.21 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-54/नि0शा0/2021-22/16-19(6) दिनांक 14 फरवरी, 2022 एवं पत्र संख्या-80 /नि0शा0/2021-22/16-19(6) दिनांक10 मार्च, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत अनुदान सं0-17 में सामान्य पुरूष वर्ग हेतु प्राविधानित बजट धनराशि के अन्तर्गत निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 451.81 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 301.21 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्रांक W-1011/8/2020-Fy दिनांक 30.09.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के सापेक्ष प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत सामान्य (पुरूष+महिला) वर्ग हेतु अनुमोदित कुल केन्द्रांश रू0 3224.05 (रू0 1710.84+1513.21) में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 851.50 लाख का केन्द्रांश अवमुक्त किया गया था। प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक W-1011/8/2020-Fy दिनांक 30.09.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 द्वारा प्रदान किये गये प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार सामान्य वर्ग में सामान्य पुरूष हेतु 53.06 प्रतिशत एवं महिला वर्ग हेतु 46.94 प्रतिशत की धनराशि मात्राकृत है। तदनुसार पत्र दिनांक 30.09.2021 द्वारा सामान्य (पुरूष+महिला) वर्ग हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त कुल केन्द्रांश रू0 851.50 लाख में से सामान्य पुरूष वर्ग हेतु रू0 451.81 लाख (53.06 प्रतिशत) तथा महिला वर्ग हेतु रू0 399.69 लाख (46.94 प्रतिशत) की केन्द्रांश धनराशि की सीमा तक ही वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा सकती थीं। आय-व्ययक 2021-22 में अनुदान संख्या-17 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत पुरूष वर्ग हेतु कुल रू0 14410.97 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2)

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम० एस०वाई०) के अन्तर्गत सामान्य पुरूष वर्ग हेतु वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-17 में प्रावधानित बजट में से उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत मात्र केन्द्रांश धनराशि रू0 451.81 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 301.21 लाख की धनराशि को निम्न तालिकानुसार 12 परियोजनाओं हेतु श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>तालिका</u>

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0, सं0	परियोजनाओं का नाम / वित्त पोषण व फन्डिगपैं (के024 /रा016/पुरूष लाभार्थी -60, के0+रा)	इकाई (सं0/है0)	ईकाई लागत	कुल परियोजना लागत	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनावार प्रस्ताव			वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष निर्गत मात्र केन्द्रांश धनराशि के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति	
					केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	राज्यांश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नये तालाबों का निर्माण	168.00	7.00	1176.00	282.24	188.16	705.60	158.84	158.84
2	खारे पानी में नये तालाबों का निर्माण	5.00	8.00	40.00	9.60	6.40	24.00	0.84	0.84
3	मीठे जल में बायोफ्लाक तालाबों का निर्माण	160.00	14.00	2240.00	537.60	358.40	1344.00	56.00	56.00
4	वृहद आर0ए0एस0/बायोफ्लाक का निर्माण	8	50.00	400.00	96.00	64.00	240.00	40.00	40.00
5	मध्यमाकार आर0ए0एस0/ बायोफ्लाक का निर्माण	56	25.00	1400.00	336.00	224.00	840.00	8.00	8.00
6	लघु आर0ए0एस0/बायोफ्लाक का निर्माण	25	7.50	187.50	45.00	30.00	112.50	6.00	6.00
7	मोटर साइकिल विद आइस बाक्स	74	0.75	55.50	13.32	8.88	33.30	6.00	6.00
8	साइकिल विद आइसबाक्स	45	0.10	4.50	1.08	0.72	2.70	0.72	0.72
9	थ्री व्हीलर विद आइसबाक्स	33	3.00	99.00	23.76	15.84	59.40	9.60	9.60
10	जीवित मत्स्य विक्रय केंद्र	8	20.00	160.00	38.40	25.60	96.00	6.40	6.40
11	मत्स्य कियोस्क की स्थापना	8	10.00	80.00	19.20	12.80	48.00	3.20	3.20
12	मत्स्य रोग निदान हेतु मोबाइल लैब क्लीनिक /	1	35.00	35.00	8.40	5.60	21.00	5.60	5.60
							कुल योग	301.21	301.21

(रू0 तीन करोड एक लाख इक्कीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3)

(1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 30.09.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेगे, जो भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है।

(3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक मत्स्य / सम्बंधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन / संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(4) वितीय स्वीकृतियों जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(5) विभागाध्यक्षों / अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल अवश्यकता होने पर ही किया गया है।

(6) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(7) संभावित व्यय को एकमुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4)

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य- योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(14) आँकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(15) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/ 1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(18) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(19) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(20) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जांय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्बंधित जनपदों को परियोजनाओं के सापेक्ष निर्गत किये जाने वाली धनराशि व तत्सम्बन्धी जनपदों का निर्धारण सम्बंधित वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों व गाइड लाइन्स के अनुसार निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन 101- अन्तर्देशीय मछली पालन 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)-(के0 24/ रा0 16/ पुरूष लाभार्थी-60, के0+रा0) 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर/अशासकीय संख्या-ई-1-3745/दस-2021-22, दिनांक 21.03.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by कृपा शंकर यादव
Date: 21-03-2022 17:56:31
Reason: Approved
(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

<u>संख्या-/५ /2022/ 202 (1)/2022 तददिनांक</u>

<u>प्रतिलिपि</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4- संयुक्त निदेशक/उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
8- गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।